बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

(छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय)

खेल जगत में नई क्रान्ति-ग्रामीण एवं पंचायत स्तरीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार की अनोखी पहल ”गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना“

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत छात्र एवं युवा निदेशालय द्वारा खेल जगत में एक अनोखी पहल की शुरूआत की गई है। इसके अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण एवं पंचायत स्तरीय खिलाडियों को विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षित कर पारंगत बनाने के लिए **”गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना“** की शुरूआत की गई है।

- इसके अन्तर्गत राज्य में खेल की विभिन्न विधाओं को ग्रामीण स्तर से विकसित करने हेतु 08–14 वर्षीय छात्र/छात्राओं में छुपी खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें उसी खेल में गहन प्रशिक्षण देकर बेहतर खिलाड़ी बनाया जाएगा।
- राज्य के छात्र/छात्राओं में खेल के प्रति सकारात्मक भावना को बढ़ाने एवं खेलों में प्रतिभागिता विकसित करने के उद्देश्य से विभाग के वार्षिक खेल कार्यक्रम में सूचीबद्ध बहुप्रचलित विभिन्न खेलों विधाओं में आधुनिक एवं गहन खेल प्रशिक्षण के लिए ”गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना“ आरंभ की गयी है।
- इस योजना के अन्तर्गत निबंधित खिलाड़ी प्रशिक्षण के निर्धारित समय पर प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।
- यह गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र पंचायतों/प्रखंडों/जिलों के मुख्य आऊटडोर स्टेडियम/जिला खेल भवन (इंडोर खेलों के लिए)खेल मैदान/विद्यालयों में प्रारंभ किये जायेंगे।
- प्रशिक्षण स्थल पर प्रत्येक कार्य दिवस को 04 घंटे प्रशिक्षण अवधि रहेगी।
- प्रशिक्षण केन्द्र में न्यूनतम 08 वर्ष से अधिकतम 14 वर्ष के प्रशिक्षुओं/खिलाड़ियों की विभिन्न खेल विधाओं में बैटरी टेस्ट एवं स्किल टेस्ट के आधार पर मेधा सूची तैयार कर आधुनिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जायेगी, जिससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन निखरेगा और बिहार में पदकों की संख्या में वृद्धि होगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 08–14 वर्ष के छात्र/छात्राओं को अपने क्षेत्र में ही खेल संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा एवं अन्तिम रूप से चयनित प्रतिभाओं को प्रति माह 500/– रू० (पाँच सौ रूपये मात्र) की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत पात्रता, योग्यता, पंजीयन एवं योजनान्तर्गत प्रशिक्षुओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की पूर्ण जानकारी विभागीय बेवसाइट www.state.bihar.gov.in/yac पर प्राप्त की जा सकती है।

निदेशक
छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

PR. No. 012361 (Art & Culture)D. 2023-24